उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 61वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 29.10.2020

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.10.2020 को सम्पन्न हुई 61वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —अध्यक्ष
2. श्री मदन राजा मौर्या, संयुक्त निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, —सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग)
3. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन —सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)
4. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन —सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण)
5. श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, नगर नियोजक, आवास बन्धु —सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)
6. श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, —सदस्य
   उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर।
   (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक)

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार (भू–अर्जन), यूपीडा।
7. श्री रवीन्द्र गोडबोले, नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
8. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी, (भू–अर्जन), यूपीडा।
9. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
10. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
11. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
12. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
13. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
14. कर्नल के0एस0 त्यागी, वरिष्ठ परामर्शी डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
15. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
16. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 61वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.09.2020 को सम्पन्न हुई 60वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 60वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.09.2020 को सम्पन्न 60वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.09.2020 को सम्पन्न हुई 60वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– आगरा से लखनऊ के पथकर–राजस्व का मुद्रीकरण / मॉनेटाइजेशन (Monetisation) किये जाने हेतु प्रस्ताव।

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवेके पथकर-राजस्व का मुद्रीकरण / मॉनेटाइजेशन (Monetisation) किए जाने हेतु प्रस्तावनिदेशक मण्डल की 23 जून 2020 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किया गया था। विषयांतर्गत लखनऊ एक्सप्रेसवे के पथकर-राजस्व के मुद्रीकरण के लिए यूपीडा को अधिकृत करने हेतु नीतिगत सैद्धान्तिक निर्णय लिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया गया था। शासन से पत्र सं. 1903/77-3-20-21एम/19/टीसी दिनांक 12 अक्तूबर 2020 प्राप्त हुआ था जिसमें निम्नानुसार अपेक्षा की गई थी:-

"आगरा – लखनऊ एक्सप्रेसवे के टॉल-राजस्व को दीर्घ-कालीन आधार पर मुद्रीकरण किए जाने के संबंध में यूपीडा को अधिकृत करने हेतु नीतिगत सैद्धान्तिक निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा। इस संबंध में एक प्राथमिक प्रस्ताव यूपीडा द्वारा अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरांत मा. मंत्रि-परिषद के विचारार्थ शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस संबंध में अपनाए जाने वाले प्रपत्र (Documents) यथा मॉडल कन्सेशनेयर एग्रीमेंट, आर. एफ. पी. / आर. एफ. क्यू. आदि एन.एच.ए.आई. में प्रचलित ऐसे प्रपत्रों के अनुरूप ही होंगे एवं किसी भी प्रपत्र में प्रकरण-विशेष परिवर्तन किए जाने की स्थिति में उनका अनुमोदन शासन से प्राप्त किया जाएगा।"

तदनुसार विषयांतर्गत प्राथमिक प्रस्ताव निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। निदेशक मण्डल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शासन को प्रेष्य मा. मंत्रि-परिषद हेतु टिप्पणी को निदेशक मण्डल से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है; अपितु, संलग्नक – 2 पर प्रस्तुत प्रस्ताव में "मा. मंत्रि-परिषद हेतु टिप्पणी" शब्द हटा कर एवं तदनुसार आवश्यक अन्य कोई शब्द हटा कर उसे निदेशक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत प्राथमिक प्रस्ताव माना जाए। **(तदनुसार निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुतसंशोधित प्राथमिक प्रस्ताव की प्रति संलग्न है)**। तत्पश्चात, सम्यक विचारोपरांत इस प्राथमिक प्रस्ताव हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुए निम्नवत् संकल्प पारित किया गया :-

संकल्प / RESOLUTIONS:

"निदेशक मण्डल की 29 अक्तूबर 2020 को सम्पन्न बैठक में निदेशक मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत एजेंडा बिन्दु सं. 03 पर सम्यक विचारोपरान्त 'आगरा – लखनऊ एक्सप्रेसवे के टॉल-राजस्व को दीर्घ-कालीन आधार पर मुद्रीकरण किए जाने के संबंध में यूपीडा को अधिकृत करने हेतु नीतिगत सैद्धान्तिक निर्णय लिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन को प्रेष्य प्राथमिक प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया व मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इस प्राथमिक प्रस्ताव को प्रदेश शासन को प्रेषित करने व तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।"

एजेण्डा बिन्दु–04:– जेम पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन आपूर्ति लिये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय यूपीडा निदेशक मण्डल को प्रभारी अधिष्ठान द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन आपूर्ति लिये जाने की अनिवार्यता विषयक शासनादेशों से अवगत कराया गया। उक्त पर सभी सदस्यों द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना उचित होगा एवं कृत कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–05:– अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदनः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों / कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा आदेश संख्या / तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री प्रकाश सिंह	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2020	06 माह	24.03.2021	सं0–11735 / यूपीडा / 1481 / 19 / अधि0 दिनांक 17.09.2020
2.	श्री हिरामन राम	लेखाकार कम कैशियर	18.09.2020	06 माह	18.03.2021	सं0–11766 / यूपीडा / 1081 / 18 / अधि0 दिनांक 18.09.2020
3.	श्री राम चन्द्र राना	सहायक सुरक्षा अधिकारी	11.09.2020	03 माह	11.12.2020	सं0–11827 / यूपीडा / 1225 / 19 / अधि0 दिनांक 24.09.2020
4.	श्री देवेन्द्र नाथ पाण्डेय	सहायक राजस्व अधिकारी	14.10.2020	06 माह	14.04.2021	सं0–12038 / यूपीडा / 1193 / 18 / अधि0 दिनांक 01.10.2020
5.	श्री राजेश कुमार चन्देल	सुरक्षा अधिकारी	26.09.2020	06 माह	26.03.2021	सं0–10237 / यूपीडा / 888 / 18 / अधि0 दिनांक 01.10.2020
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	सुरक्षा अधिकारी	30.09.2020	06 माह	31.03.2021	सं0–12065 / यूपीडा / 1237 / 19 / अधि0 दिनांक 05.10.2020
7.	श्री राधेश्याम विश्वकर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2020	06 माह	02.03.2021	सं0–12130 / यूपीडा / 1666 / 20 / अधि0 दिनांक 07.10.2020
8.	श्री दयाराम यादव	लेखाकार कम कैशियर	24.10.2020	06 माह	24.04.2021	सं0–12298 / यूपीडा / 1084 / 18 / अधि0 दिनांक 15.10.2020
9.	श्री के0एन0निगम	लेखाकार कम कैशियर	24.10.2020	06 माह	24.04.2021	सं0–12289 / यूपीडा / 1083 / 18 / अधि0 दिनांक 15.10.2020
10.	श्री सत्य नारायण सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2020	06 माह	02.03.2021	सं0–12307 / यूपीडा / 1663 / 20 / अधि0 दिनांक 16.10.2020
11.	श्री राम चन्द्र मौर्य	लिपिक	14.11.2020	06 माह	14.05.2021	सं0–12495 / यूपीडा / 351 / 14 / अधि0 दिनांक 26.10.2020
12.	श्री अवधेश कुमार	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	04.11.2020	06 माह	04.05.2021	सं0–12496 / यूपीडा / 1613 / 19 / अधि0 दिनांक 26.10.2020
13.	श्री शमीम अख्तर सिद्दीकी	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–12498 / यूपीडा / 1552 / 19 / अधि0 दिनांक 26.10.2020

2. यूपीडा में तैनात (संविदा) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं की यूपीडा में आवश्यकता आकलन एवं आवश्यकता न पाये जाने पर निम्नलिखित अधिकारियों की संविदा सेवायें उक्त तिथि से समाप्त की गयी है। जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक दिनांक 29.10.2020 में किया जाना है।

अधिकारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति अवधि	सेवा समाप्ति की तिथि	सेवा समाप्ति आदेश संख्या
श्री प्रह्लाद सिंह	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	06 माह	25.07.2020	सं0–12309 / यूपीडा / 1654 / 20 / अधि0 दिनांक 16.10.2020
श्री राज कुमार मिश्रा	प्रबन्धक (सिविल)	06 माह	14.10.2020	सं0–12308 / यूपीडा / 1406 / 19 / अधि0 दिनांक 16.10.2020
श्री अलख नारायण द्विवेदी	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	26.07.2020	सं0–12297 / यूपीडा / 887 / 18 / अधि0 दिनांक 15.10.2020

3. यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्ति के यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर प्रतिनियुक्ति/संविदा पर यूपीडा मुख्यालय के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्तियाँ की गयी, जिनका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 29.10.2020 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1.	श्री ईशान देव गिरि	कनिष्ठ अधिवक्ता	06 माह	25.09.2020	सं0–10912 / यूपीडा / 1802 / 20 / अधि0 दिनांक 10.08.2020
2.	श्री धर्मवीर सिंह	फारेस्टर	06 माह	25.09.2020	सं0–11788 / यूपीडा / 1853 / 20 / अधि0 दिनांक 21.09.2020
3.	श्री मोहन चन्द्र मठपाल	फारेस्टर	06 माह	21.09.2020	सं0–11787 / यूपीडा / 1757 / 20 / अधि0 दिनांक 21.09.2020
4.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	फारेस्टर	06 माह	22.09.2020	सं0–11786 / यूपीडा / 1855 / 20 / अधि0 दिनांक 21.09.2020
5.	श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव	फारेस्टर	06 माह	21.09.2020	सं0–11785 / यूपीडा / 1854 / 20 / अधि0 दिनांक 21.09.2020
6.	श्री सोवरन सिंह	फारेस्टर गार्ड	06 माह	25.09.2020	सं0–11784 / यूपीडा / 1856 / 20 / अधि0 दिनांक 21.09.2020
7.	श्री शशिकान्त मिश्रा	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	05.10.2020	सं0–12070 / यूपीडा / 1866 / 20 / अधि0 दिनांक 05.10.2020
8.	श्री सूर्यकान्त द्विवेदी	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	05.10.2020	सं0–12069 / यूपीडा / 1867 / 20 / अधि0 दिनांक 05.10.2020
9.	श्री अरूण कुमार राय	डिप्टी कलेक्टर	प्रतिनियुक्ति	21.09.2020	सं0–11974 / यूपीडा / 1862 / 20 / अधि0 दिनांक 29.09.2020

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–06:– मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 23.10.2020 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरणः–

कार्यवाही / निर्णय

यूपीडा में वर्तमान में लंबित वादों की समीक्षा की गई विधि परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित कुल वादों की संख्या–251 में से निस्तारित वादों की संख्या–157 तथा अवशेष लम्बित वादों की संख्या–94 है एवं प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु 03 में यूपीडा के नामित अधिवक्ता के द्वारा प्रतिशपथ पत्र तैयार कराया जा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित कुल वादों की संख्या–203 में से निस्तारित वादों की संख्या–162 तथा अवशेष लम्बित वादों की संख्या–41 है एवं प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु शेष 03 वादों में यूपीडा के नामित अधिवक्ता के द्वारा प्रतिशपथ पत्र तैयार करा दिया गया है। इस सम्बन्ध में सदस्यों से जानना चाहा कि मा0 उच्च न्यायालय से किन्हीं वादों में कोई निर्देश (Instruction) तो प्राप्त नहीं हुये है? उक्त पर तत्काल समीक्षा करते हुये सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मॉगे गये जिन वादों मे (Instruction) मॉगे गये है, उन मामलों में तत्काल कार्यवाही करते हुये नामित अधिवक्ता को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये है। केवल 03 प्रकरणों में शपथ पत्र दाखिल किये जाने है। यूपीडा द्वारा सम्बन्धित अधिवक्ता को वाद पर बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करा दिये गये है। उक्त पर तथ्यों से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

एजेण्डा बिन्दु–07:–

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्थापित दो मुख्य टोल प्लाजा एवं पंद्रह रैम्प प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन एजेन्सी के चयन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों को उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–2098 / 77–3–2020–37(एम) / 12 दिनांक 01.10.2020 द्वारा मेसर्स सहकार ग्लोबल लि0 को नियुक्त किये जाने के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को उन्हें 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी करने एवं उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने के लिये अधिकृत किया गया है। तदनुसार चयनित एजेन्सी मेसर्स सहकार ग्लोबल लि0 को यूपीडा के पत्र संख्या–12047 / यूपीडा / 2020 / 1224(2) दिनांक 01.10.2020 के माध्यम से 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी किया गया था तथा दिनांक 13.10.2020 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। मेसर्स सहकार ग्लोबल लि0 द्वारा दिनांक 14.10.2020 की मध्य रात्रि से 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थित समस्त 17 टोल प्लाजाज पर चार्ज लेते हुये टोल कलेक्शन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–08:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।

अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित / क्रियान्वित / पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति / आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग / व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् है:–

(धनराशि करोड मे)

	योजना का नाम	बजट प्राविधान		शासन स्तर / वित्त संस्थाओ से जारी स्वीकृति	व्यय	टिप्पणी
					कुल	
1	2	3		4	5	6
A	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड) परियोजना	अनुदान संख्या–7	160.00	84.37	77.64	
	योग		160.00	84.37	77.64	
B	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	1400.00	350.00	100.00	
	पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	1600.00	1600.00	1600.00	
	योग		3000.00	1950.00	1700.00	
C	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	589.52	150.78	150.48	
	योग		589.52	150.78	150.48	
D	गोरखपुर लिक एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	176.00	176.00	140.50	
		भूमि क्रय	498.88	498.88	498.88	
	योग		674.88	674.88	639.38	
E	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	36.35	0.00	0.00	
			36.35	0.00	0.00	
F	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	750.00	400.00	400.00	
	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	800.00	800.00	800.00	
	योग		1550.00	1200.00	1200.00	
G	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	155.07	11.42	7.42	
	योग		155.07	11.42	7.42	
H	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	अनुदान संख्या–7	150.00	0.00	0.00	
	योग		150.00	0.00	0.00	
I	गगा एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	2000.00	165.19	165.19	
	योग		2000.00	165.19	165.19	
J	बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	200.00	200.00	200.00	
	योग		200.00	200.00	200.00	
K	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनो ओर जनपद गोरखपुर मे औघोगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु	अनुदान संख्या–7	200.00	0.00	0.00	
	योग		200.00	0.00	0.00	
	महायोग		8715.82	4436.64	4140.11	

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल से प्राप्त आय/व्यय की स्थिति।**

आगरा–लखनऊ (ग्रीन फील्ड) एक्सप्रेसवे परियोजना पर वर्तमान में टोल वसूली का कार्य मे0 सहकार ग्लोबल लिमिटेड द्वारा दिनांक 15.10.2020 से प्रारम्भ किया गया है, पूर्व में टोल वसूली का कार्य मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 द्वारा किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2020–21 मे उपयोग/व्ययक विवरण निम्नवत् है:–

वित्तीय वर्ष 2020–21	Amount (Rs in crore)	Amount (Rs in crore)
मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 द्वारा		
टोल संग्रह धनराशि	114.91	
मे0 सहकार ग्लोबल लिमिटेड द्वारा		
टोल संग्रह धनराशि	5.51	
इलाहाबाद बैंक से लिये ऋण एवं ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु		
ऋण का भुगतान		46.28
ब्याज का भुगतान		47.58
योगः–	**120.42**	**93.86**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–10:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति।**

कार्यवाही/निर्णय अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सदस्यों को बुन्दलेखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्रगति पर है। जो प्रशंसनीय है। सभी सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय मुख्य अभियन्ता द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जन सामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत कुछ कार्यों के लिए ई0पी0सी0 ठेकेदारों को उनके अनुबन्ध के क्लाज 13 के अन्तर्गत अनुमोदनोपरान्त अथॉरिटी इन्जीनियर द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत की गई है, उक्त चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस के क्रम में ई0पी0सी0 ठेकेदारों द्वारा विस्तृत गणना के आधार पर आगणन प्रेषित किये जाने है। आगणन प्राप्त होने पर उनके परीक्षण व स्वीकृति के पश्चात् आगामी निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज सं0–1 के निर्माणकर्ता मै0 एफ्को इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 एवं पैकेज संख्या–2 के निर्माणकर्ता मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन के साथ निष्पादित अनुबन्ध के शिड्यूल–एच (कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वेटेज) में संशोधन के संबंध में।**

कार्यवाही/निर्णय — यूपीडा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि शासन से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये टिप्पणी एवं आलेख, अनु सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग–03 उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 19.10.2020 को प्रेषित किया जा चुका है। उपरोक्त कार्यवाही को निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संज्ञान में ले लिया गया है।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **यूपीडा द्वारा संचालित विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में पर्यवेक्षण कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता की आवश्यकता हेतु पदों के सृजन का अनुमोदन।**

यूपीडा में वर्तमान में 04 एक्सप्रेसवे परियोजनाएं एवं 01 डिफेन्स कॉरिडोर विकास परियोजना का कार्य प्रगति पर है। कार्य में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए एवं परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए परियोजनाओं की समीक्षा में यह आवश्यकता अनुभव की गई थी कि इन सभी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण कार्य हेतु मुख्यालय पर अधीक्षण अभियन्ताओं की तैनाती किया जाना आवश्यक है उक्त हेतु अधिष्ठान द्वारा परियोजनावार प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नवत है :–

क्रम सं0	परियोजना का नाम	निर्माण कार्य पर्यवेक्षण हेतु अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक (सिविल) की आवश्यकता	अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) की आवश्यकता
1	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे	01	–
2	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे	02	01
3	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे	02	01
4	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे	01	–
5	डिफेन्स कॉरिडोर	01	–
योग		07	02

कार्यवाही/निर्णय — उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– **गंगा एक्सप्रेसवे के वित्त पोषण हेतु आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे का टी0ओ0टी0 आधार पर मॉनिटाइजेशन के लिये तकनीकी सलाहकार आबद्ध करने हेतु ड्राफ्ट आर0एफ0पी0 का अनुमोदन किये जाने हेतु।**

कार्यवाही/निर्णय — उपरोक्त हेतु एक सुविचारित प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग–03 उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 22.10.2020 को प्रेषित कर दिया गया है। उपरोक्त कृत कार्यवाही को निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संज्ञान में ले लिया गया है।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:– **गंगा एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किये जाने की प्रकिया एवं संस्थान का अनुमोदन।**

कार्यवाही/निर्णय — गंगा एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किये जाने की प्रकिया एवं संस्थान के अनुमोदन के लिये अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग–03 उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 22.10.2020 को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। उपरोक्त कार्यवाही को निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संज्ञान में ले लिया गया है।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:– **डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत अलीगढ़ व कानपुर नोड में यूपीडा के कार्यालय हेतु किराये पर भवन व कार्यालय एक्सेसरीज/सामग्री के अनुमोदन विषयक।**

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–04:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पूर्व में संचालित वाहन संख्या UP32JX1148 के क्षतिग्रस्त होने के उपरान्त उसके स्थान पर प्राप्त इन्श्योरेन्स धनराशि का समायोजन कर दूसरा नयी इनोवा वाहन क्रय करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन।**

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रोड सेफ्टी एवं दुर्घटना प्रबन्धन की दृष्टि से उक्त क्षतिग्रस्त वाहन के स्थान पर दूसरा इनोवा वाहन का क्रय किया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है, कि वर्तमान में इनोवा मॉडल BS4 उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में क्षतिग्रस्त वाहन के स्थान पर जेम पोर्टल के माध्यम से BS6 इनोवा मॉडल G7, 07 सीटर (डीजल) क्रय किया जाना है। जेम पोर्टल के माध्यम से टोयोटा किरलोस्कर मोटर्स प्रा0लि0 से प्राप्त आगणन P.I.(Performa Invoice) के अनुसार दूसरा नया वाहन क्रय करने पर कुल रूपया 14,82,692.00 मात्र का व्यय होगा। दुर्घटनाग्रस्त वाहन के सापेक्ष इन्श्योरेन्स से रूपया 12,34,800.00 प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रोड सेफ्टी एवं दुर्घटना प्रबन्धन कार्यों के दृष्टिगत नया वाहन क्रय करने हेतु इन्श्योरेन्स से प्राप्त रूपया 12,34,800.00 का समायोजन करते हुए यूपीडा पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार रूपया 2,47,892.00 सहित कुल रूपया 14,82,692.00 स्वीकृति प्रदान किया जाना है।

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.10.2020 को सम्पन्न हुई 61वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 29.10.2020 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

विषयः– आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे के पथकर–राजस्व का मुद्रीकरण/मॉनेटाइजेशन किए जाने हेतु प्राथमिक प्रस्ताव

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् विगत लगभग 02 वर्ष से अधिक समय से यातायात आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच.ए.आई.) में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार इस एक्सप्रेसवे पर टी.ओ.टी. (टोल, आपरेट, मेन्टेन एवं ट्रासफर) माध्यम से मुद्रीकरण (मॉनीटाईजेशन) कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया में यूपीडा द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किए जा रहे पथ–कर संग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत आगामी लगभग 20 वर्ष की दीर्घावधि में अपेक्षित टॉल धनराशि के संग्रहण अधिकार को निजी क्षेत्र के निर्धारित प्रक्रियानुसार चयनित निवेशक/कन्सेशनेयर के पक्ष में हस्तांतरित करके इस अधिकार के एवज में इस अवधि में अपेक्षित टॉल धनराशि के ह्रासित/डिस्काउंटेड मूल्य के अनुरूप धनराशि अग्रिम रूप से एकमुश्त प्राप्त की जा सकती है जिसे गंगा एक्सप्रेसवे के भूमि क्रय हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। मुद्रीकरण हेतु निर्धारित अवधि के दौरान निवेशक/कन्सेशनेयर द्वारा ही एक्सप्रेसवे का पूर्ण रख–रखाव किया जाएगा एवं निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात एक्सप्रेसवे एवं उससे संबन्धित सभी परिसंपत्तियों को यूपीडा के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस अवधि में एक्सप्रेसवे का मालिकाना हक यूपीडा के पास ही रहेगा किन्तु निर्धारित अवधि हेतु टॉल धनराशि के संग्रहण अधिकार तथा एक्सप्रेसवे के अच्छी तरह से रख–रखाव की जिम्मेदारी चयनित निवेशक/कन्सेशनेयर की होगी। पथकर का संग्रहण चयनित निवेशक/कन्सेशनेयर द्वारा उ. प्र. एक्सप्रेसवे (लेवी ऑफ टॉल्स एंड फिक्सिंग ऑफ फीस एंड रियलाइजेशन देयर–ऑफ) रूल्स 2010 के अनुसार एवं समय – समय पर इस हेतु किए गए/किए जाने वाले संशोधन के प्रावधानों के अनुसार और उनके अंतर्गत ही किया जाएगा। मुद्रीकरण से प्रथम–दृष्टया लगभग रु. 4500 करोड़ की राशि अग्रिम रूप से एकमुश्त जुटाई जा सकती है।

2. 'गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना' के संबंध में मा. मुख्य मंत्री जी के समक्ष दिनांक 19.06. 2020 को सम्पन्न प्रस्तुतीकरण के संबंध में, अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए एक विकल्प के रूप में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के मुद्रीकरण पर भी विचार–विमर्श किया गया था जिसके अनुश्रवण में आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में दिनांक 01 जुलाई, 15 जुलाई व 10 सितंबर 2020 को बैठकें आयोजित की गईं थीं जिनमें आगरा – लखनऊ एक्सप्रेसवे के मुद्रीकरण के संबंध में समस्त बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरांत निम्नवत मत स्थिर किया गया थाः–

i. आगरा – लखनऊ एक्सप्रेसवे के मुद्रीकरण के संबंध में एन.एच.ए.आई. में हाईवे परियोजनाओं के मुद्रीकरण की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जाना श्रेयस्कर होगा।

ii. शासन के स्तर पर आगरा – लखनऊ एक्सप्रेसवे के टॉल–राजस्व को दीर्घ–कालीन आधार पर मुद्रीकरण किए जाने के संबंध में यूपीडा को अधिकृत करने हेतु नीतिगत सैद्धान्तिक निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा। इस संबंध में एक प्राथमिक प्रस्ताव यूपीडा द्वारा अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरांत मा. मंत्रि–परिषद के विचारार्थ शासन को उपलब्ध

कराया जाएगा। इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस संबंध में अपनाए जाने वाले प्रपत्र (डाक्यूमेन्ट्स) यथा मॉडल कन्सेशनेयर एग्रीमेंट, आर.एफ.पी. / आर. एफ.क्यू. आदि एन.एच.ए.आई. में प्रचलित ऐसे प्रपत्रों के अनुरूप ही होंगे एवं किसी भी प्रपत्र में प्रकरण–विशेष परिवर्तन किए जाने की स्थिति में उनका अनुमोदन शासन से प्राप्त किया जाएगा।

iii. सैद्धान्तिक निर्णय के उपरांत ट्रेफिक–कम–टेक्निकल कंसल्टेंट और एक ट्राञ्जेक्शन एड्वाइजरी कंसल्टेंट की नियुक्ति नियत प्रक्रियानुसार अनुमोदन के अनुसार यूपीडा द्वारा की जाएगी।

iv. ट्राञ्जेक्शन एड्वाइजरी कंसल्टेंट द्वारा तैयार किए गए विस्तृत मुद्रीकरण संरचना प्रस्ताव, फाइनेंशियल मॉडल, प्रारम्भिक आंकलित कन्सेशन राशि, इन्फोर्मेशन मेमोरेंडम, मॉडल कन्सेशनेयर एग्रीमेंट एवं आर.एफ.पी./आर.एफ.क्यू. आदि पर शासन की सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

v. इस स्वीकृति के आधार पर ट्राञ्जेक्शन एड्वाइजरी कंसल्टेंट की सहायता से संभावित निवेशकों से नियत प्रक्रियानुसार निविदाएँ आमंत्रित की जाएंगी व चयनित निवेशक(कों) द्वारा दिए गए ऑफर पर शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

vi. तत्पश्चात चयनित निवेशक(कों) के साथ ट्राञ्जेक्शन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में दीर्घावधि में प्राप्य संभावित पथकर–राजस्व राशि के मुद्रीकरण हेतु टॉल–ऑपरेट–ट्रान्सफर (टी.ओ.टी) मॉडल का यूपीडा द्वारा प्राथमिक अध्ययन किया गया है, जिसके आधार पर वस्तु–स्थिति निम्नवत प्रस्तुत है।

i- शासनादेश सं. 1988/77–3–13–2 (यूपीडा)/2012 दिनांक 30 दिसंबर 2013 (संलग्नक–2) में टॉल चार्ज वसूल करने के लिए यूपीडा को अधिकृत करने के संबंध में निम्नवत व्यवस्था दी गई है:–

"एक्सप्रेसवे के उपयोग हेतु प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा टॉल–चार्ज लिया जाएगा, जिसका निर्धारण उ. प्र. एक्सप्रेसवे (लेवी ऑफ टॉल्स एंड फिक्सिंग ऑफ फीस एंड रियलाइजेशन देयर–ऑफ) रूल्स 2010 के अनुसार एवं समय–समय पर इस हेतु किए जाने वाले संशोधन के अनुसार होगा. टॉल चार्ज से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराई जाएगी।"

तत्पश्चात प्रश्नगत परियोजना हेतु बैंकों से ऋण लिए जाने के निर्णय के अनुरूप शासनादेश सं. 1338/77–3–16–02 (यूपीडा)/12 दिनांक 23 अगस्त 2016 (संलग्नक–3) के माध्यम से निम्नवत संशोधन किया गया है:–

" ..... यदि संदर्भगत परियोजना के वित्त पोषण हेतु यूपीडा द्वारा किसी अन्य स्रोत से ऋण लिया जाता है तो एकत्रित टॉल से सर्वप्रथम लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान किया जाएगा।"

"तत्पश्चात शेष धनराशि का उपयोग यूपीडा शासन की अनुमति से, शासन द्वारा पूर्व अनुमोदित वित्तीय देयता के भुगतान हेतु कर सकेगा। ..... वित्तीय संसाधनों से

संबंधित देयताओं के भुगतान के पश्चात टॉल चार्ज से एकत्रित धनराशि यदि वित्तीय वर्ष के बीच में शेष बचती है तो यूपीडा द्वारा इस हेतु अलग से एक बचत खाता जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से खोला जाएगा, में जमा की जाएगी और उस पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जाएगा तथा वर्ष के अंत में ब्याज की धनराशि सहित राजकोष में जमा कर दी जाएगी।"

उक्त के परिप्रेक्ष्य में टॉल राजस्व के मुद्रीकरण हेतु इस आशय का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टॉल धनराशि के संग्रहण का अधिकार पूर्णतः यूपीडा के स्वामित्व में इस अधिकार के साथ निहित किया जाए कि यूपीडा इस संग्रहण अधिकार को निर्धारित प्रक्रियानुसार चयनित निवेशक /कन्सेशनेयर के पक्ष में एक नियत अवधि के लिए हस्तांतरित करके इस अधिकार के एवज में इस अवधि में अपेक्षित टॉल धनराशि के ह्रासित/डिस्काउंटेड मूल्य के अनुरूप मुद्रीकरण के रूप में धनराशि अग्रिम रूप से एकमुश्त प्राप्त कर सके।

ii-जनहित एवं वित्तीय बाजार में निवेशकों की अभिरुचि/प्रतिक्रिया के प्रथम–दृष्टया अनुमान के अनुसार यह प्रस्तावित है कि टॉल धनराशि के मुद्रीकरण की अवधि 15 वर्ष रखा जाना समीचीन होगा। तथापि निवेशकों की वास्तविक अभिरुचि/प्रतिक्रिया के परिप्रेक्ष्य में इस अवधि को अंतिम रूप दिया जाएगा।

iii-प्रथम–दृष्टया अनुमान के अनुसार 15 वर्ष की अवधि में अपेक्षित टॉल धनराशि के आंकलित ह्रासित/डिस्काउंटेड मूल्य का शत–प्रतिशत मुद्रीकरण किए जाने पर वर्तमान टॉल संग्रहण के आंकड़ों के अनुसार लगभग रु. 4500.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त की जा सकती है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु यूपीडा द्वारा इलाहाबाद बैंक से ऋण प्राप्त किया गया था, जिसकी शेष राशि लगभग रु. 1050.00 करोड़ का एकमुश्त भुगतान शासन द्वारा अलग से किया जाना अपेक्षित होगा।

iv- एन.एच.ए.आई. में प्रचलित मुद्रीकरण प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

- एन.एच.ए.आई. द्वारा वर्ष 2018–19 से अभी तक पाँच टी.ओ.टी. जारी किए गए हैं। इनमें से टी.ओ.टी.–1 में लगभग 648 किमी. मार्गों पर 30 वर्षो के लिए टोल कलेक्शन अधिकार निर्गत किये जाने हेतु रु. 9682.00 करोड़ की प्राप्ति हुई। टी.ओ.टी.–2 को बिड–राशि पूर्ण न होने से निरस्त किया गया। टी.ओ.टी.–3 में रु. 5011.00 करोड़ की बिड को अंतिमीकृत किया गया है। टी.ओ.टी.–4 व 5 हेतु प्रस्ताव आमंत्रण प्रक्रियाधीन है।
- टी.ओ.टी. आधारित मुद्रीकरण का मूल प्रस्ताव भारत सरकार में मंत्रि–परिषद के स्तर पर अनुमोदित हुआ था व तत्पश्चात इससे संबन्धित मॉडल कन्सेशनेयर एग्रीमेंट एवं आर.एफ.पी. डोक्यूमेंट भारत सरकार में सड़क–परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर अनुमोदित किए गए हैं।
- इन अनुमोदनों के अंतर्गत टी.ओ.टी. हेतु विभिन्न राजमार्गों का चुनाव करके उनकी लंबाई के दृष्टिगत उपयुक्त संख्या में उनका बंडलीकरण किया जाता है और इस प्रकार तैयार किए गए विभिन्न बंडलों के प्रस्ताव एन.एच.ए.आई. के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।

- प्रत्येक टी.ओ.टी. बंडल में शामिल किए जाने हेतु हाइवे के प्रस्ताव तैयार किए जाने के लिए एन.एच.ए.आई. द्वारा एक डी.पी.आर. कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाती है जो सभी संबन्धित हाइवे का समग्र तकनीकी अध्ययन करते हैं और वर्तमान व दीर्घकालीन भावी ट्रेफिक घनत्व संबंधित व अन्य तकनीकी आंकड़े उपलब्ध कराते हैं।
- इसी प्रकार एक ट्राज्जेक्शन एड्वाइजरी कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाती है जो सभी उपलब्ध सूचनाओं व अभिलेखों का अध्ययन करते हैं व डी.पी.आर. कंसल्टेंट द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विस्तृत फाइनेंशियल मॉडल, प्रारम्भिक आंकलित कन्सेशन राशि और इन्फोर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करते हैं जिसके आधार पर संभावित निवेशकों से विचार विमर्श किया जाता है व निविदाएँ आमंत्रित की जातीं हैं। ट्राज्जेक्शन एड्वाइजरी कंसल्टेंट द्वारा ही संपूर्ण निविदा प्रबंधन भी किया जाता है। आवश्यकतानुसार ट्राज्जेक्शन एड्वाइजरी कंसल्टेंट द्वारा लीगल कंसल्टेंट की सेवाएँ भी ली जातीं है जिनका शुल्क/प्रभार एन.एच.ए.आई. द्वारा वहन किया जाता है।
- निविदाओं के आधार पर कन्सेशनेयर का अंतिमीकरण किया जाता है व ट्राज्जेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।

v- उक्त के क्रम में यूपीडा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के संबंध में स्थिति निम्नवत् है:–

- आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे नवनिर्मित एक्सप्रेसवे होने के कारण काफी मात्रा में तकनीकी डाटा उपलब्ध हैं तथापि इनके समेकीकरण व अन्य आवश्यक तकनीकी अध्ययन हेतु एक तकनीकी परामर्शी द्वारा कार्य किया जाएगा।

- आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे का टॉल एवं ट्रैफिक अध्ययन डी. पी. आर. बनाते समय वर्ष 2013–14 में किया गया था। वर्तमान में प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति में है एवं गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस परिस्थिति में यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए टॉल एवं ट्रैफिक अध्ययन पुनः कराया जाना होगा, ताकि यूपीडा द्वारा अधिकाधिक धनराशि के मुद्रीकरण का लाभ उठाया जा सके। यह कार्य भी तकनीकी परामर्शी द्वारा ही संपादित किया जाएगा।
- यूपीडा द्वारा टॉल धनराशि संग्रहण का कार्य उ. प्र. एक्सप्रेसवे (लेवी ऑफ टॉल्स एंड फिक्सिंग ऑफ फीस एंड रियलाइजेशन देयर–ऑफ) रूल्स 2010 एवं समय–समय पर इसमें किए जाने वाले संशोधन के अनुसार किया जा रहा है। इन रुल्स का एक त्वरित विधिक अध्ययन किया जाएगा ताकि मुद्रीकरण करते समय दीर्घावधि में यूपीडा एवं निवेशक/कन्सेशनेयर दोनों के हितों को संरक्षित करने के लिए इन रुल्स में आवश्यक संशोधन, यदि कोई हों तो, किए जा सकें। साथ ही यदि किसी और विधिक अभिलेख/रुल्स आदि की आवश्यकता का भी आंकलन किया जाएगा। इस हेतु यूपीडा को एक विधिक परामर्शी की आवश्यकता होगी।

- यूपीडा द्वारा शासकीय प्रावधान एवं बैंक–ऋण से प्राप्त जो धनराशि अभी तक प्रश्नगत परियाजना में खर्च की गई है उसके यूपीडा के स्वतंत्र इंजीनीयर एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित आंकडों तथा स्वतंत्र ट्रैफिक परामर्शी एजेंसी द्वारा किए गए अद्यतन त्वरित ट्रैफिक सर्वे एवं अन्य समुचित डाटा/सूचना के आधार पर एक फाइनेंशियल मॉडलिंग की जाएगी जिसमें यूपीडा एवं निवेशक/कन्सेशनेयर दोनों के दीर्घावधि हितों के दृष्टिगत वित्तीय संकेतक प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि मुद्रीकरण का पर्याप्त लाभ प्राप्त किया जा सके। इसमें यूपीडा के वित्तीय आंकडों, दीर्घावधि में प्रक्षेपित यूपीडा की बैलेन्स शीट व लाभ–हानि विवरण, सभी एक्सप्रेसवे से होने वाली संभावित टॉल राजस्व प्राप्तियाँ, अन्य आय, शासन से वांछित प्राप्तियाँ, ऋण–अदायगी उत्तरदायित्व और अन्य संकेतकों का भी समावेश होगा।
- उपरोक्तानुसार बनाए गए फाइनेंशियल मॉडल पर संभावित निवेशकों/कन्सेशनेयर से रोड–शो के माध्यम से चर्चा करके फाइनेंशियल मॉडल को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा एक फाइनेंशियल इन्फोर्मेशन मेमोरेंडम बनाया जाएगा जो कि बिड–प्रक्रिया का आधार होगा।
- टी. ओ. टी. मॉडल के अंतर्गत टॉल मुद्रीकरण हेतु अपनाए जाने वाले प्रपत्र यथा मॉडल कनसेशनेयर एग्रीमेंट, आर. एफ. पी. / आर. एफ. क्यू. आदि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) में प्रचलित ऐसे प्रपत्रों के अनुरूप ही होंगे एवं किसी भी प्रपत्र में प्रकरण–विशेष परिवर्तन किए जाने की स्थिति में उनका अनुमोदन शासन से प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित निवेशक/कन्सेशनेयर के साथ किए जाने वाले करार का प्रारूप एन. एच.ए.आई. द्वारा प्रयुक्त ''ऑपरेशन–मेन्टीनेन्स–टोलिंग (ओ.एम. टी.) कन्सेशन कांट्रैक्ट'' के आधार पर गठित किया जायेगा। यह समस्त कार्य एक विषयान्तर्गत विशेषज्ञता–प्राप्त ट्रांजेकशन परामर्शी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
- इस संबंध में किए जाने वाले समस्त विलेखीकरण के लिए शासकीय स्टाम्प ड्यूटी को माफ किए जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा अन्यथा निवेशक/कन्सेशनेयर स्टाम्प ड्यूटी की राशि को मुद्रीकरण राशि में से कम करेंगे और इससे मुद्रीकरण राशि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।
- उपरोक्त समस्त कार्य को संपादित करने हेतु यूपीडा को एक विषयान्तर्गत विशेषज्ञता–प्राप्त ट्रांजेकशन परामर्शी कंसल्टेंट एवं एक तकनीकी परामर्शी कंसल्टेंट की सेवाओं की आवश्यकता होगी जिन्हें नियत प्रक्रियानुसार चयनित किया जाएगा। ये प्रस्तावित कंसल्टेंट एजेंसियां टॉल–राजस्व मुद्रीकरण की प्रक्रिया के स्थायित्व प्राप्त करने तक यूपीडा को सेवाएँ प्रदान करेंगी।
- मुद्रीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में प्राप्य मुद्रीकरण राशि की निवेशक/कन्सेशनेयर के पक्ष में विधिक प्रतिभूति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक द्विपक्षीय गारंटी अथवा ऐसी ही प्रकृति के किसी विधिक अभिलेख की आवश्यकता होने पर ऐसा अभिलेख निवेशक/कन्सेशनेयर द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रारूप में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यूपीडा को यथासमय उनके अनुरोध पर जारी किया जाएगा।
- मुद्रीकरण से प्राप्त धनराशि का उपयोग यूपीडा द्वारा शासन की अनुमति से गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि क्रय हेतु उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिभाग के रूप में किया जाएगा। मुद्रीकरण से प्राप्त धनराशि को प्रारम्भ में यूपीडा द्वारा इस

हेतु अलग से खोले गए बचत खाते, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से खोला जाएगा, में जमा किया जाएगा। तत्पश्चात यूपीडा द्वारा यथावश्यक आहरण इस खाते से समय समय पर किया जाएगा।

- मुद्रीकरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक/परिचालनात्मक कार्यों को सुलभ करने हेतु बाह्य एजेंसियों की सेवाएँ यथासमय निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त करने एवं तत्संबंधी एवं अन्य कोई संबन्धित व्यय/प्रभार के लिए यूपीडा को अधिकृत किया जाना वांछित है। इस संबंध में यूपीडा द्वारा समय समय पर की गई विशिष्ट मांग के अनुसार शासन द्वारा बजट के माध्यम से पर्याप्त वित्त–पोषण हेतु प्रावधान किया जाएगा।

vi- आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे के पथकर–राजस्व का मुद्रीकरण/मॉनेटाइजेशन किए जाने हेतु प्रस्ताव यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उनकी 23 जून 2020 को सम्पन्न बैठक में पारित किया गया है।

4. उक्त के आलोक में यह प्रस्तावित है कि शासन से निम्न बिन्दुओं पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाए :–

अ. शासनादेश सं. 1338/77–3–16–02 (यूपीडा)/12 दिनांक 23 अगस्त 2016 के प्रावधानों को संशोधित करते हुए आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उ. प्र. एक्सप्रेसवे (लेवी ऑफ टॉल्स एंड फिक्सिंग ऑफ फीस एंड रियलाइजेशन देयर–ऑफ) रूल्स 2010 के अनुसार एवं समय–समय पर इसमें किए गए/किए जाने वाले संशोधन(नों) के प्रावधानों के अंतर्गत किए जा रहे पथ–कर संग्रहण के संदर्भ में टॉल राजस्व के मुद्रीकरण हेतु इस आशय का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टॉल धनराशि के संग्रहण का अधिकार पूर्णतः यूपीडा के स्वामित्व में इस अधिकार के साथ विहित किया जाए कि यूपीडा इस संग्रहण अधिकार को निर्धारित प्रक्रियानुसार चयनित निवेशक/कन्सेशनेयर के पक्ष में एक नियत अवधि के लिए हस्तांतरित करके इस अधिकार के एवज में इस अवधि में अपेक्षित टॉल धनराशि के ह्रासित/डिस्काउंटेड मूल्य के अनुरूप मुद्रीकरण के रूप में धनराशि अग्रिम रूप से एकमुश्त प्राप्त कर सके। इस हेतु उ० प्र० एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के लिए यूपीडा को अधिकृत करने हेतु नीतिगत सैद्धान्तिक निर्णय लिया जाए।

आ. आगरा – लखनऊ एक्सप्रेसवे के मुद्रीकरण के संबंध में एन.एच.ए.आई. में हाईवे परियोजनाओं के मुद्रीकरण की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जाए। इस संबंध में अपनाए जाने वाले प्रपत्र (डाक्यूमेन्ट्स) यथा मॉडल कन्सेशनेयर एग्रीमेंट, आर. एफ. पी. / आर. एफ. क्यू. आदि एन.एच.ए.आई. में प्रचलित ऐसे प्रपत्रों के अनुरूप ही होंगे एवं किसी भी प्रपत्र में प्रकरण–विशेष तथ्यात्मक परिवर्तन किए जाने की स्थिति में उनका अनुमोदन शासन से प्राप्त किया जाएगा। इसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के लिए यूपीडा को अधिकृत करने हेतु सैद्धान्तिक निर्णय लिया जाए।

इ. इस प्रकार के मुद्रीकरण से प्राप्त धनराशि का उपयोग यूपीडा द्वारा शासन की अनुमति से यूपीडा द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि क्रय हेतु वित्तीय संसाधनों में शासन के प्रतिभाग के रूप में किया जाएगा।

ई. मुद्रीकरण से प्राप्त धनराशि को प्रारम्भ में यूपीडा द्वारा इस हेतु अलग से खोले गए बचत खाते, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से खोला जाएगा, में जमा किया जाएगा। तत्पश्चात समय समय पर इस खाते से आवश्यक आहरण यूपीडा द्वारा किया जाएगा।

उ. मुद्रीकरण प्रक्रिया के लिए उल्लिखित आवश्यक प्रक्रियात्मक/परिचालनात्मक कार्यों हेतु बाह्य एजेंसियों यथा ट्रैफिक एवं टेक्निकल परामर्शी एजेंसी, कानूनी कार्य हेतु एजेंसी, वित्तीय ट्रांजेकशन परामर्शी/एवं अन्य किसी आवश्यक एजेंसी की सेवाएँ निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त करने एवं तत्संबंधी आवश्यक व्यय/ प्रभार तथा इससे संबन्धित अन्य कोई आकस्मिक व्यय/प्रभार के वहन करने हेतु यूपीडा को अधिकृत किया जाए। इस संबंध में यूपीडा द्वारा समय समय पर की गई विशिष्ट मांग के अनुसार शासन द्वारा बजट के माध्यम से पर्याप्त वित्त–पोषण किया जाना अपेक्षित है।

ऊ. मुद्रीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में प्राप्य मुद्रीकरण राशि की निवेशक/कन्सेशनेयर के पक्ष में विधिक प्रतिभूति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक द्विपक्षीय गारंटी अथवा ऐसी ही प्रकृति के किसी विधिक अभिलेख की आवश्यकता होने पर ऐसा अभिलेख निवेशक/कन्सेशनेयर द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रारूप में शासन द्वारा यूपीडा को यथासमय उनके अनुरोध पर जारी किया जाए।

ऋ. मुद्रीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में किए जाने वाले समस्त विलेखीकरण के लिए शासकीय स्टाम्प ड्यूटी को माफ किया जाए।

ए . उक्त के संबंध में प्रक्रियात्मक एवं परिचालनात्मक निर्णय लिये जाने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त शासकीय समिति का गठन किया जाए जो निम्नवत् प्रस्तावित हैं:–

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त : अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव, वित्त : सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास : सदस्य
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा : सदस्य–सचिव

ऐ. भविष्य में आवश्यक नीतिगत निर्णयों हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी को उक्त समिति की अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाना समीचीन होगा; इस हेतु मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाए।

ओ. तदोपरान्त यूपीडा द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दीर्घावधि में प्राप्य संभावित पथकर–राजस्व–राशि के संग्रहण अधिकार के मुद्रीकरण/मॉनेटाइजेशन किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी तथा इससे संबन्धित अन्य सभी अनुमोदन यूपीडा द्वारा समय–समय पर शासन से प्राप्त किये जाएंगे।